भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 11/02/2019

File No. LSB/2/2018/STGOR/SEOTH/RU-III

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उड़ीसा पुलिस,
कटक, उड़ीसा – 753001

विषयः दिनांक 12–12–2018 को माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजति आयोग द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भुवनेश्वर, उड़ीसा के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 12–12–2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एंवम आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. श्रीमती लीली सुजाता बा, ग्राम – रांची रोड़, पोस्ट – कूतरा, जिला – सुंदरगढ़, उड़ीसा – 770018
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- LSB/2/2018/STGOR/SEOTH/RU - III)

श्रीमती लीली सुजाता बा, ग्राम - रांची रोड, पोस्ट – कुत्र, जिला – सुंदरगढ़, ओडिशा (770018) के पति उप पुलिस निरीक्षक जैनुरियस बा (Januarious Baa) की गुमशुदगी के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 12.12.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्रीमती लीली सुजाता बा, ग्राम- रांची रोड, पोस्ट – कुत्र, जिला – सुंदरगढ़, ओडिशा ने अपने पति उप पुलिस निरीक्षक, जैनुरियस बा की गुमशुदगी के मामले में दिनांक 7.09.2018 को आयोग में अभ्यावेदन देकर मामले में आयोग से न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
2. आयोग द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर दिनांक 01.10.2018 को पुलिस महानिदेशक ओडिशा को नोटिस जारी कर जवाब मांगी गई। इसके पश्चात ओडिशा पुलिस के सीआईडी अपराध शाखा, कटक द्वारा दिनांक 15.10.2018 को आयोग में प्रत्युतर प्रस्तुत किया गया।
3. मामले में अभ्यावेदक श्रीमती लीली सुजाता बा द्वारा प्राप्त जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की गई। जिसके बाद इस मामले में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 12.12.2018 को आयोग मुख्यालय में बैठक आहुत की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक के स्थान पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उपस्थित हुए।
4. बैठक में आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक श्रीमती लीली सुजाता बा ने आयोग को बताया कि उनके पति पुलिस विभाग में उप पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे जो वर्ष 2007 से लापता हैं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। इसी बिच विभाग द्वारा श्री जैनुरियस बा को झूठे आरोप में सेवामुक्त कर दिया गया था।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. मामले में आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को विभाग का पक्ष रखने को कहा, उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि श्री जैनुरियस बा राउरकेला सेक्टर 19 में मालगोदाम के इंचार्ज थे। जहां से कुछ सामान गायब पाया गया था जिस मामले में श्री जैनुरियस बा के उपर राउरकेला में अपराधिक मामला भी दर्ज हुआ था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आयोग को अवगत कराया की श्री जैनुरियस बा को राउरकेला केस संख्या 104/2004 में दोषी पाए गये थे।

6. अभ्यावेदक के फ़ाइल में ओडिशा पुलिस के तरफ से प्राप्त जबाब में यह ज्ञात हुआ की श्री जैनुरियस बा को जीआरपी राउरकेला से 31.07.2007 को उप पुलिस निरीक्षक के पद पर स्पेशल ब्रांच कटक में स्थानांतरित किया गया था। जहां वे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बाद 12.11.2007 को उपस्थित हुए। जिसके बाद विभाग द्वारा श्री जैनुरियस बा के खिलाफ कार्यवाई करते हुए 29.12.2007 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

7. मामले में श्रीमती लीली सुजाता बा ने आयोग को अवगत कराया कि इस मामले में आवेदक ने फास्ट ट्रैक कोर्ट राउरकेला में अपील दायर की थी जिसमे अतिरिक्त सेशन जज ने मामले की सुनवाई करते हुए 14 दिसम्बर 2009 को फैसला सुनाते हुए आवेदक के पति श्री जैनुरियस बा को दोष मुक्त पाया था।

8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आयोग को बताया कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट राउरकेला ने श्री जैनुरियस बा को दोषमुक्त पाया था तो उन्हें सेवामुक्त होने के समुचित लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

आयोग ने इस मामले में सभी पक्षों और दस्तावेजों के परीक्षणोंपरांत निम्नलिखित अनुशंसा की है –

(क) ओडिसा पुलिस द्वारा श्री जैनुरियस बा के सेवामुक्त होने पर प्राप्त होनेवाले सभी प्रकार की सुविधाओं की क्षतिपूर्ति के साथ अभ्यावेदक श्रीमती लीली सुजाता बा को प्रदान करायी जाए।

(ख) अभ्यावेदक श्रीमती लीली सुजाता बा को पेंशन भी दी जानी सुनिश्चित की जाए और साथ ही कर्मी के पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जानी सुनिश्चित की जाए।

आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की गई कार्रवाई से आयोग को 15 दिन के अंदर अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(LBS/2/2018/STGOR/SEOTH/RU - III)

श्रीमती लीली सुजाता बा, ग्राम - रांची रोड, पोस्ट – कुत्र, जिला – सुंदरगढ़, ओडिसा (770018) के पति उप पुलिस निरीक्षक जैनुरियस बा (Januarious Baa) की गुमशुदगी के विषय में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

(अ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1.) सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष

(2.) पी.टी.जेम्सकुट्टी, उप सचिव

(3.) श्री डी सी कटोच, परामर्शक

(ब) ओडिसा पुलिस विभाग

(1) महेन्द्र प्रताप, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

(स) अभ्यावेदनकर्ता

(1) श्रीमती लीली सुजाता बा